हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

षष्टम् सत्र

<u>समाचार भाग-1</u>

संख्याः 50

बुधवार, 4 सितम्बर, 2024/13 भाद्रपद, 1946(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्याः 1239 (स्थगित) के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा गया। तारांकित प्रश्न संख्याः 2000 से 2006 तक के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों/मुख्य मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 2007 से 2057 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्याः 898 से 926 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री) ने माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन में शून्यकाल की व्यवस्था करने का स्वागत किया एवं चाहा कि इसे शुरू करने से पहले इसकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए इसकी मोडालिटीज का स्कोप तय कर लिया जाए।

माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा ने सुझाव दिया कि शून्यकाल की अवधि एक घण्टा रखी जानी चाहिए।

माननीय राजस्व मंत्री ने भी सदन में शून्यकाल की व्यवस्था करने पर अध्यक्ष महोदय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है। उन्होंने बताया कि अभी लोकसभा और लगभग 10 प्रदेशों की विधान सभाओं में शून्यकाल का प्रावधान है।

नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर ने शून्यकाल की व्यवस्था किए जाने का समर्थन करते हुए कहा कि आने वाले समय में इसका स्वरूप कैसा होगा, ये सारी चीजें पहले तय हो जाएं तो उचित रहेगा। उन्होंने माननीय अध्यक्ष से निवेदन किया कि इस बारे में एक फॉर्मल मीटिंग करके चर्चा करने के उपरान्त इस संदर्भ में आगे बढ़ा जाए।

माननीय मुख्य मंत्री ने सदन में शून्यकाल की व्यवस्था का स्वागत करते हुए कहा कि यह माननीय अध्यक्ष का बहुत ही सराहनीय फैसला है परन्तु इसके लिए पहले एस0ओ0पी0(SOP) बनाने की जरूरत है। उन्होंने माननीय अध्यक्ष से अनुरोध किया कि इस व्यवस्था को लागू करने से पहले इस संदर्भ में एक बैठक कर ली जाए।

अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

"शून्यकाल से क्या अभिप्राय है, यह माननीय राजस्व मंत्री श्री जगत सिंह नेगी जी ने स्पष्ट कर दिया है। ऐसा समय जब सदन में जन-प्रतिनिधियों द्वारा जनहित के मुद्दे उठाये जाए, उसे ही शून्यकाल कहते हैं और इस समय में जो विषय उठेंगे वे बहुत जरूरी होंगे। जो विषय नियमों के तहत लिस्ट न हो पाएं या किसी-न-किसी वजह से विषय माननीय सदन के ध्यान में न

आएं तो ऐसे विषयों को माननीय सदस्य इस दौरान उठा सकते हैं। ऐसे विषयों की गम्भीरता को देखते हुए इसका अधिकार-क्षेत्र अध्यक्ष के पास रहता है कि उसकी अनुमति दी जाए या न दी जाए। इसलिए विषय की गम्भीरता को देखकर ही मैं उसकी इज़ाजत दूंगा। ऐसा है विषय उठने के बाद यह स्वाभाविक नहीं है और न ही जरूरी है कि उसी समय उस विषय का उत्तर दे दिया जाए। अगर माननीय मंत्री उस विषय से अवगत हैं और वे उत्तर देना चाहें तो वे उत्तर दे सकते हैं अन्यथा अगर वे उत्तर न दे पाएं तो वह सूचना मंत्रालय को जाती है और उसके बाद 2 या 3 दिन में जब चाहे उसका उत्तर दिया जा सकता है। उस विषय को बार-बार भी नहीं उठाया जा सकता है। एक बार शून्यकाल में जो विषय उठ गया और सूचना प्राप्त हो गई तो अन्य नियमों के तहत आप उसका स्पष्टीकरण पूछ सकते हैं न कि शून्यकाल में दूसरे दिन उस विषय को उठा सकते हैं। इसलिए विषय नया होना चाहिए। जहां तक एस0ओ0पीज0 की बात है तो वे यहां भी वही होंगी जो लोकसभा में है। बहुत-सारी विधान सभाओं ने इसकी शुरुआत कर दी है। लाइव प्रोसीडिंग्ज की शुरुआत करने वाली हमारी ही पहली विधान सभा है और लीडिंग विधान सभा है। देश में सबसे पहले ई-विधान प्रणाली हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई और जब कभी भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई कॉन्फ्रेंसिज होती हैं तो उनमें हमारा ज़िक्र होता है। इसलिए मैं समझता हूं कि हमें तो इसमें लीड करना चाहिए था। अभी भी 10 राज्य पहले से ही इसको लागू कर चुके हैं इसलिए मैं नहीं समझता कि इसके संदर्भ में किसी प्रकार की शंका किसी माननीय सदस्य या सरकार में रहनी चाहिए। किसी विषय की गम्भीरता को समझते हुए उसकी चर्चा की अनुमति यह चेयर देगी और वह विषय लम्बा नहीं होगा। उस विषय को 2-3 मिनट के अंदर यहां पर रखा जाएगा। यदि माननीय मंत्री या मुख्य मंत्री जी जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं अन्यथा प्रशासनिक दृष्टि से सचिव उसकी कॉग्निजेंस लेंगे and they will act upon that issues. अगर फिर भी आप चाहते हैं कि इस पर कोई बातचीत करनी है तो की

जा सकती है। मेरा इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है लेकिन शून्यकाल शुरू होगा, यह मैं स्पष्ट कर दूं।

अभी इस सत्र के तीन दिन शेष हैं। आज भी कुछ विषय हमारे बहुत-सारे माननीय सदस्यगण अपना हाथ उठा करके उठाना चाह रहे हैं। माननीय राजस्व मंत्री जी ने ठीक सुझाव दिया कि अभी उसको प्वाइंट ऑफ ऑर्डर के रूप में अलाऊ कर लिया जाए। हालांकि मैं विषय की गम्भीरता को देखते हुए उसको अन्यथा भी अलाऊ कर सकता हूं। कुछ माननीय सदस्य अपने हाथ उठा रहे हैं इसीलिए मैंने इस जीरो ऑवर शुरू करने का फैसला लिया था। इसके एस0ओ0पीज0 हम बना लेंगे और चर्चा भी कर लेंगे। अभी कुछ विषय हैं जो माननीय सदस्य यहां सदन में उठाना चाहते हैं। इसको जीरो ऑवर कह लीजिए या प्वाइंट ऑफ ऑर्डर कह लीजिए, उसके तहत ही ये विषय यहां सदन में उठेंगे।"

माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि शून्यकाल को शुरू करने के लिए वे सहमत हैं परन्तु कोई भी विषय समय के अनुसार ही उठना चाहिए। अभी जीरो ऑवर के लिए सरकार तैयार नहीं है। लेकिन इसके एस0ओ0पी0 बना कर कुछ दिनों में इसे शुरू किया जा सकता है।

इस पर **माननीय अध्यक्ष** ने कहा कि इस पर चर्चा की जाएगी और इसके एस0ओ0पी0 भी बना लिए जाएंगे।

<u>व्यवस्था का प्रश्न</u>

माननीय सदस्य डॉ0 जनक राज ने हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा यानी मणिमहेश यात्रा में यात्रियों को आ रही कठिनाइयों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार द्वारा इस हेतु कोई मास्टर प्लान तैयार करने का आग्रह किया।

Observation by the Speaker

"I agree with the Hon'ble Member Dr. Janak Rajji because the influx of the pilgrims is too much. The infrastructure which we have, either in Bharmour or in Chamba, that cannot cater this much pilgrims. Obviously, infrastructure was required to be improved. However, the same has not been done from the previous years also. So the focus should be for infrastructure enhancement i.e. the roads and other related things. I think the administration will take a cognizance of it with the help of the Hon'ble Chief Minister."

माननीय सदस्य श्री भवानी सिंह पठानिया ने विषय उठाया कि उनके विधान सभा क्षेत्र में ई0एन0सी0 प्रोजैक्ट का ऑफिस था जिसमें चार प्रमुख सिंचाई की स्कीमों के ऑफिस भी थे परन्तु उस ऑफिस को कांगड़ा के फतेहपुर से उठाकर मण्डी भेज दिया गया। उन्होंने निवेदन किया कि इस दफ्तर को वापिस कांगड़ा के फतेहपुर में लाया जाए।

माननीय सदस्य श्री कुलदीप सिंह राठौर ने सदन में नागरिक अस्पताल, ठियोग के उन्नयन बारे पूछे गए प्रश्न, जिसके उत्तर में "मामला सरकार के विचाराधीन है", दर्शाया गया, बारे विषय उठाया। इस पर माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि उस अस्पताल को जिला अस्पताल बनाने के बारे में घोषणा की गई है जिसे आने वाले समय में बजट प्रावधान के अनुसार अमलीजामा पहनाने की कोशिश की जाएगी।

माननीय सदस्य श्री सुख राम चौधरी ने इंटर स्टेट कनैक्टिविटी के लिए सी.आर.एफ. के तहत यमुना नदी पर विकास नगर से नावघाट, भघाणी-सिंहपुरा ब्रिज की कनैक्टिविटी के लिए हिमाचल की ओर से एक सड़क बनाए जाने के लिए जमीन एक्वायर करने के प्रोसैस संबंधी विषय उठाया।

माननीय सदस्य श्री संजय रत्न ने अपनी बात रखते हुए शिमला से बिलासपुर रोड की खस्ताहाल स्थिति की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया।

माननीय सदस्य सुख राम चौधरी द्वारा उठाये गए विषय पर **माननीय लोक निर्माण मंत्री** ने बताया कि इस सड़क के लिए जो लैंड एक्वायर होनी है वह किसी व्यक्ति की निजी भूमि है, अतः उससे बातचीत की जाएगी और अगर कोई भी बात नहीं बनती तो we will go in for compulsory acquisition of land because connectivity of Uttarakhand and Himachal Pradesh, particularly, on this bridge is of prime importance.

माननीय सदस्य श्री संजय रत्न द्वारा उठाये गए विषय पर **लोक निर्माण मंत्री** ने कहा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है और इसकी मरम्मत के लिए मामला एन.एच.ए.आई. और MoRTH से उठाया जाएगा।

नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर ने सितम्बर माह की 04 तारीख हो जाने के बावजूद भी कर्मचारियों व पेंशनर्ज को पेंशन/सैलरी न मिलने बारे विषय उठाया। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि नियम-130 के अंतर्गत इस विषय को चर्चा हेतु शीघ्र लिस्ट किया जाए।

माननीय मुख्य मंत्री ने इस संबंध में वस्तुस्थिति से अवगत करवाते हुए बताया कि उन्होंने जब 11 दिसम्बर, 2022 को सत्ता संभाली थी उस समय प्रदेश में आर्थिक संकट था। उन्होंने उस समय की प्रदेश की वित्तीय स्थिति की जानकारी भी सदन को दी।

(माननीय मुख्य मंत्री द्वारा दी जा रही स्टेटमैंट के बीच ही विपक्ष के कुछ माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर शोरगुल करने लगे। तत्पश्चात कुछ क्षण उपरान्त नारेबाजी करते हुए 01.00 बजे अपराह्न सदन से बहिर्गमन कर गए।)

माननीय अध्यक्ष सदन को अवगत करवाया कि 'प्रदेश की आर्थिक स्थिति के ऊपर यह माननीय सदन गंभीरता से विचार करे' बारे विषय को शुक्रवार की कार्यसूची में लगाया जा रहा है।

(1.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 02.00 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।)

(भोजनावकाश के उपरान्त 02.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

2. कागज़ात सभा पटल पर

(1) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2022-23 (विलम्ब के कारणों सहित);

(ii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश ब्यास वैली पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2022-23 (विलम्ब के कारणों सहित);

(iii) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ट्रांसमिशन लाइसेंसधारियों और वितरण लाइसेंसधारियों के अन्य विनियम (प्रथम संशोधन) व्सवसायों की आय का उपचार, 2023 जोकि अधिसूचना संख्याः एचपीईआरसी/420, दिनांक 15.05.2023 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 17.05.2023 को प्रकाशित;

(iv) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ट्रांसमिशन टैरिफ निर्धारण के लिए नियम और शर्तें (तीसरा संशोधन) विनियम, 2023 जोकि अधिसूचना संख्याः एचपीईआरसी-एफ(1)-3/2018, दिनांक 02.06.2023 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 05.06.2023 को प्रकाशित;

(v) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा) विनियम, 2023 जोकि अधिसूचना संख्याः एचपीईआरसी/एच(1)-36/2021, दिनांक 22.07.2023 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 25.07.2023 को प्रकाशित;

(vi) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति जमा) विनियम (पांचवां संशोधन), 2023 जोकि अधिसूचना संख्याः एचपीईआरसी/414/ (प्रतिभूति जमा), दिनांक 21.08.2023 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 22.08.2023 को प्रकाशित;

(vii) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से उत्पादन को बढ़ावा देना तथा टैरिफ निर्धारण के लिए नियम व शर्तें (सातवां संशोधन) विनियम, 2023 जोकि अधिसूचना संख्याः एचपीईआरसी/428, दिनांक 22.09.2023 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 26.09.2023 को प्रकाशित;

(viii) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय व्हीलिंग टैरिफ एवं खुदरा आपूर्ति टैरिफ) विनियम, 2023 जोकि अधिसूचना संख्याः एचपीईआरसी-एफ(1)-67/2023, दिनांक 29.11.2023 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 07.12.2023 को प्रकाशित;

(ix) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग कनेक्टिविटी का अनुदान, दीर्घकालिक और मध्यम अवधि के अंर्तराज्य- (तीसरा संशोधन) खुली पहुंच और संबधित मामले विनियम, 2024 जोकि अधिसूचना संख्याः एचपीईआरसी/418, दिनांक 15.02.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 17.02.2024 को प्रकाशित; और

(x) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ट्रांसमिशन विनियम टैरिफ निर्धारण हेतु नियम एवं शर्तें, 2023 जोकि अधिसूचना संख्याःएचपीईआरसीएफ(1)-68/2023, दिनांक 14.03.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.03.2024 को प्रकाशित।

(2) **श्री मुकेश अग्निहोत्री**, **उप मुख्य मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1968 (1969 का अधिनियम संख्यांक 3) की धारा 109 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कॉपरेटिव सोसाइटीज (अमैण्डमेन्ट) रूल्ज, 2024 जोकि अधिसूचना संख्याः कूप-ए(3)-2/2020, दिनांक 14.03.2024

द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 15.03.2024 को प्रकाशित, की प्रति सभा पटल पर रखी।

(3) **श्री हर्षवर्धन चौहान, उद्योग मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28(3) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश खनिज नीति, 2024 जोकि अधिसूचना संख्याः इन्ड-II (एफ)1-1/2023, दिनांक 29.02.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 04.03.2024 को प्रकाशित;

(ii) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(बी) के अन्तर्गत हिमाचल राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का 47वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2020-21(विलम्ब के कारणों सहित);

(iii) हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (b) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम का 49वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखें, वर्ष 2021-22 (विलम्ब के कारणों सहित);

(iv) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, सहायक भू-विज्ञानी, ग्रुप-ए (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2024 जोकि अधिसूचना संख्याः इन्ड-ए-ए003/11/2021, दिनांक 27.05.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 04.06.2024 को प्रकाशित; और

(v) हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1966 की धारा 27 (1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की सूचना का अधिकार-एवं वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2022-23 (विलम्ब के कारणों सहित)।

(4) **श्री रोहित ठाकुर, शिक्षा मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1968 की धारा 15(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखी।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन

(1) **श्री अनिल शर्मा, सभापति, लोक लेखा समिति** (वर्ष 2024-25) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति के 76वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) पर बने चतुर्थ कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत्त अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण पर आधारित तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से सम्बन्धित है;

(ii) समिति के 273वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) पर बने 102वें कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत्त अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण पर आधारित तथा प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है;

(iii) समिति के 278वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) पर बने 103वें कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत्त अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण पर आधारित तथा उच्चत्तर शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है; और

(iv) समिति के 205वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) पर बने 255वें कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत्त अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण पर आधारित तथा उद्यान विभाग से सम्बन्धित है।

(2) **श्री राकेश कालिया, सभापति, प्राक्कलन समिति** (वर्ष 2024-25) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का पंचम् कार्रवाई प्रतिवेदन जोकि समिति के 20वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2021-22) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर विभाग द्वारा कृत्त कार्रवाई पर आधारित तथा जल शक्ति विभाग से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का षष्टम् कार्रवाई प्रतिवेदन जोकि समिति के 13वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2020-21) में अन्तर्विष्ट

सिफारिशों पर विभाग द्वारा कृत्त कार्रवाई पर आधारित तथा सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बन्धित है।

(3) **श्री संजय रत्न, सभापति, जन प्रशासन समिति** (वर्ष 2024-25) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का षष्टम् कार्रवाई प्रतिवेदन जोकि समिति के प्रथम मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) (वर्ष 2023-24) पर विभाग द्वारा कृत्त कार्रवाई पर आधारित तथा मांग संख्याः 22- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की वर्ष 2024-25 की अनुदान मांगों से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का सप्तम् कार्रवाई प्रतिवेदन जोकि समिति के 18वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2021-22) पर सरकार द्वारा कृत्त कार्रवाई पर आधारित तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से सम्बन्धित है।

(4) **श्री नन्द लाल, सभापति, सामान्य विकास समिति**, (वर्ष 2024-25) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का 11वां मूल प्रतिवेदन जोकि शहरी विकास विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; और

(ii) समिति का 12वां मूल प्रतिवेदन जोकि पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है।

(5) **श्री केवल सिंह पठानिया, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति** (वर्ष 2024-25) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का अष्ट्म प्रतिवेदन जोकि उद्यान विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है;

(ii) समिति का नवम् कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 27वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2021-22) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत्त कार्रवाई पर आधारित

तथा मांग संख्याः 14- पशुपालन विभाग की वर्ष 2022-23 की अनुदान मांगों की संवीक्षा से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति का 10वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2018-19) जोकि समिति के तृतीय मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत्त अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण पर आधारित तथा मांग संख्याः 18- उद्योग, खनिज आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की वर्ष 2017-18 की अनुदान मांगों से सम्बन्धित है।

4. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

सर्वश्री बलबीर सिंह वर्मा व हरीश जनारथा, सदस्यों ने " **"संजौली (शिमला) में अवैध रूप से बनी मस्जिद को लेकर उत्पन्न हुए तनाव"** की ओर लोक निर्माण मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया।

माननीय नगर एवं ग्राम योजना मंत्री ने भी अपनी बात रखी।

लोक निर्माण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री बलबीर सिंह वर्मा व श्री हरीश जनारथा ने स्पष्टीकरण मांगा।

लोक निर्माण मंत्री ने उत्तर दिया।

5. <u>विधायी कार्य</u>

(I) सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना

(i) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक-6) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक-6) पुरःस्थापित हुआ।

(ii) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक-26 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक-26) पुरःस्थापित हुआ।

(II) सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

(i) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 24)" पर विचार किया जाए।

निम्नलिखित ने चर्चा की -

1. श्री राकेश जम्वाल
2. श्री रणधीर शर्मा
3. श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मंत्री
4. श्री जय राम ठाकुर
5. श्री विपिन सिंह परमार
6. श्री आशीष शर्मा
7. श्री संजय अवस्थी, मुख्य संसदीय सचिव

माननीय मुख्य मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 विधेयक का अंग बना।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 24)" को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

"हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 24)" ध्वनिमत से पारित हुआ।

(iii) **श्री चन्द्र कुमार, कृषि मन्त्री**, ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक-25)" पर विचार किया जाए।

श्री रणधीर शर्मा, सदस्य ने खण्ड 3, 5 व 6 पर संशोधन प्रस्तुत किए एवं चर्चा की।

निम्नलिखित ने चर्चा की -

1. श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मंत्री
2. श्री राकेश जम्वाल
3. श्री विपिन सिंह परमार
4. श्री केवल सिंह पठानिया
5. श्री जय राम ठाकुर

श्री हरीश जनारथा, सदस्य द्वारा बिल पर चर्चा के दौरान विषयांतर बोलने पर श्री रणधीर शर्मा ने आपत्ति दर्ज़ की।

माननीय मुख्य मंत्री ने बिल पर स्थिति और स्पष्ट की।

कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

खण्ड 3, 5, व 6 में जो संशोधन श्री रणधीर शर्मा, सदस्य से प्राप्त हुए थे, वे अस्वीकार हुए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2, 3, 4, 5 व 6 विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री चन्द्र कुमार, कृषि मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक-25)"को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

"हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक-25)"पारित हुआ।

6. नियम-102 के अन्तर्गत सरकारी संकल्प

(1) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि-

"यह सदन केन्द्र सरकार से पुरजोर सिफारिश करता है कि जिस प्रकार 2024-25 के बजट अभिभाषण में केन्द्र सरकार द्वारा तीन आपदा प्रभावित राज्यों क्रमशः सिक्किम, असम और उत्तराखण्ड के लिए बाढ़ प्रबन्धन और सम्बन्धित परियोजनाओं के लिए अनुदान के रूप में सहायता दिए जाने की घोषणा की गई है उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में भी तीन राज्यों की तरह प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान हुआ है और केन्द्र सरकार हिमाचल प्रदेश को भी शत-प्रतिशत अनुदान के रूप में सहायता राशि प्रदान करे।"

श्री सुन्दर सिंह ठाकुर, मुख्य संसदीय सचिव ने संकल्प पर चर्चा की।

सदन का निर्धारित समय समाप्त हो जाने के कारण संकल्प पर दिनांक 05 सितम्बर, 2024 को आगे चर्चा होगी।

05.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक वीरवार, 05 सितम्बर, 2024 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई।